भीम

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग सिरोही

क्रमांकः प.14(12)( )आ.प्र.एवं.सहा. / बाढ़ / 2022 / 1791 दिनांक 09-10-2022 11

:: प्रशासनिक स्वीकृति ::

मानसून वर्ष 2022 में बाढ / अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त सडकों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर की स्वीकृति क्रमांकः एफ. 8(26)आ.प्र.एवं सहा. / प्रस्ताव / बाढ / 2022 / 12682-89 दिनांक 07.11.2022 एवं विभागीय समसंख्यक दिशा निर्देश पत्रांक 9362-63 दिनांक 26.07.2022 के बिन्दु संख्या 3 की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से निम्नलिखित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतदद्वारा प्रदान की जाती हैं :-

कार्यकारी ऐजेन्सी- अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि.भाग वृत-सिरोही ब्लॉक- सिरोही

क्र.सं.	क्षतिग्रस्त रोड का नाम	रोड का वर्गीकरण (NH/SH/ MDR/ Other	एस.डी.आर.एफ नोर्म्स अनुसार मरम्मत हेतु राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1	पालडी खाम्बल सडक	VR	2.10
2	सम्पर्क सडक पाडीव कालन्द्री	VR	7.80
3	मेरमाण्डवाडा, पोसीतरा काकेन्द्रा, फलवदी तवरी सडक	VR	2.40
4	पोसीतरा सिलदर	VR	2.40
5	नेशनल हाईवे 14 से माण्डवाडा गोल	VR	2.10
6	सम्पर्क सडक माकरोडा	VR	3.00
7	बरलूट नवारा गुडा सडक	VR	4.80
8	मनोरा से वराडा सडक	VR	1.80
9	सम्पर्क भुवनेश्वरजी	VR	1.20
10	सिलदर रोडाखेडा	VR	1.50
11	सम्पर्क सडक मीरपुर मंदिर	VR	1.80
12	सम्पर्क सडक देलदर	VR	1.05
13	सम्पर्क सडक मण्डवारिया	VR	1.20
14	सिलदर सनपुर	VR	6.00
15	132 के.वी. गोयली	VR	2.40
16	कृष्णगंज सियाकरा	VR	6.90
17	सम्पर्क सडक सियाकरा	VR	2.70
18	गोयली पिपलकी पालडी	VR	2.40
19	कालन्द्री वलदरा सरतरा, सिलोईया मामावली सडक	VR	8.58
20	चडुआल ब्रहमाजी मंदिर	VR	1.80
21	आकूना से रामसीन	VR	2.10
22	जवाल भूतगांव मनोरा	VR	5.40
23	सम्पर्क सडक सिलदर	VR	1.20
24	सम्पर्क सडक तेलपीखेडा	VR	2.40
25	सम्पर्क सडक मंडवाडा	VR	1.20
26	धान्ता से माकरोडा दरबारीखेडा	VR	1.20
27	सनपुर से करजाल	VR	2.40
28	मडिया से आकूना	VR	2.70
29	सम्पर्क सडक सरतरा	VR	1.80
	योग		**84.33**

आवश्यक शर्ते-

1. विभाग द्वारा प्रति किलोमीटर की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया गया हैं अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़को की मरम्मत Restoration पर न करें।

2. उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों में शामिल कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य पर राशि व्यय न करें।

3. वे सडके जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं हैं।
अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि प्रस्तावित राशि SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही हैं। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के **Restoration** हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 9362–63 दिनांक 26.07.2022 द्वारा गणना की जाये।

4. कार्यकारी ऐजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें । अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी ।

5. **स्वीकृत कार्य वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ करवाया जावें, कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके । यदि वित्तीय स्वीकृति जारी होने से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता हैं, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यकारी ऐजेन्सी की होगी।**

6. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावें । क्षति का मुख्य कारण बाढ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना हैं, इसका प्रमाण–पत्र जल संशाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं।

7. बाढ/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के **Restoration** में यह ध्यान रखा जावें कि परिसम्पत्तियों का तात्कालिक **Restoration** ही किया जाना हैं, न की नया **निर्माण** । इस संबंध में कृपया एस.डी.आर. एफ. नोर्म्स मे दिये गये प्रावधानों की आवश्यक रूप से पालना करें।

8. कार्यकारी संस्था तकनीकी स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करे कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरांत ही एस. डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

9. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यो के पूर्णता प्रमाण–पत्र जिला कलक्टर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता को अवश्य प्रस्तुत करेगें।

10. समस्त कार्य इसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किये जाने आवश्यक हैं। तात्कालिक **Restoration** के कार्यो से संबंधित देनदारियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जाएगा।

11. आपदा के समय करवाये गये कार्यो के बिलों का सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी के द्वारा सत्यापन होना आवश्यक हैं, उक्त सत्यापन के अभाव में आपदा के दौरान करवाये गये कार्यो के भुगतान हेतु विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

12. भुगतान बिलों के साथ कार्य संतोषजनक होने एवं एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार होने संबंधी उपखण्ड स्तरीय समिति की रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

13. इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना सुनिश्चित की जावें । स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्न लेखा मद से किया जायेगा–

2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02–बाढ चक्रवात आदि
106–खराब सड़को तथा पुलों की मरम्मत तथ पुनःस्थापना
(08)–(बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथ पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)
[01]-[सडकों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना]
21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत राशि रू. 63.25 लाख)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रू. 21.08 लाख)

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1.शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर ।

2.वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर ।

3.उपखण्ड अधिकारी, सिरोही

4.अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त सिरोही को भेजकर लेख हैं कि एसडीआरएफ नॉर्म्स एवं उपरोक्त शर्तानुसार तकनीकी स्वीकृति मय आवश्यक प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें।

5.अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड, सिरोही ।

अति. जिला कलक्टर एवं सचिव,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
सिरोही